न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2022-292Ju2022-147 Gayadsingh ors Vs Dolatsingh etc

---

01. गायड़सिंह पुत्र श्री खंगारसिंह,
02. सवाईसिंह पुत्र श्री खंगारसिंह
03. जवरसिंह पुत्र श्री खंगारसिंह
04. खेतू कंवर पत्नी खंगारसिंह
    निवासीगण- ग्राम रावलगढ, वेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
05. रतन कंवर पुत्री खंगारसिंह, पत्नी श्री देवीसिंह, निवासी- ग्वालनाडा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
06. पुंजाराम पुत्र श्री गुमानाराम
07. माणकराम पुत्र श्री भुराराम
08. घेवरराम पुत्र श्री भुराराम
09. दलाराम पुत्र कोलाराम
10. ज्वारों देवी पत्नी कोलाराम
11. समदादेवी पुत्री गुमनाराम
12. पुष्पा देवी पत्नी कस्तुराराम
13. वीजाराम पुत्र कस्तुराराम
14. खेताराम पुत्र कस्तुराराम,
    निवासीगण- रावलगढ वेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
15. पपूसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
16. डूंगरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह
17. प्रेमकंवर पत्नी श्री पदमसिंह
    निवासीगण- रावलगढ वेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
18. जसाराम पुत्र श्री भीयाराम,
19. पदमाराम पुत्र श्री भीयाराम
20. खेगारराम पुत्र श्री भीयाराम
21. स्वरूपराम पुत्र श्री भीयाराम
22. इन्द्राराम पुत्र श्री भीयाराम
23. प्रभुराम पुत्र श्री भीयाराम
24. धनाराम पुत्र श्री टीकूराम
    निवासीगण- रावलगढ वेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म

1. दौलतसिंह पुत्र जुगतसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र जुगतसिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र जुगतसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र जुगतसिंह
5. खमा कंवर पत्नी जुगतसिंह
   निवासीगण- रावलगढ़ बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 07 जून 2022 राजस्व पार्थना पत्र संख्या 269/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम पुंजाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री भवानीसिंह भलासरियां, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 07 दिसंबर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 269/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम पुंजाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 07 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के रामक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 10 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स संख्या एक से तीन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1991 रकबा 14.04 बीघा मौजा रावलगढ़, तहसील बालेसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स की उक्त भूमि में आवागमन हेतु एक पौराणिक कदीमी रास्ता अपीलांट्स की भूमि खसरा नं. 1855, 1996, 1995, 1994 में सें चलता है, जिसमें से प्रार्थीगण/रेस्पो. आवागमन करते है। उक्त रास्ता आगे जाकर तिंवरी जाने वाली सड़क से मिलता है। प्रार्थीगण के आवामगन का यही एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण/रेस्पो. ने 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये तथा मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07 जून 2022 को स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय नें अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करके भेजी गई, जबकि रास्ते के नियमों के अनुसार तहसीलदार व भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का अधिकारी रिपोर्ट तैयार करके नहीं भेज सकता है। मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें मौके पर किसी भी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था। अपीलार्थीगण के खेत खसरा नं. 1855, 1996, 1955 व 1994 में सें पूर्वजों के समय से किसी भी प्रकार का कदीमी रास्ता नहीं चलता आ रहा है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण वालेसर दुर्गावता से रावलगढ रोड़ से अपने खेत खसरान् में आवागमन करते आ रहे है। प्रत्यर्थीगण के खेत खसरा नं. 1991 में जाने हेतु वालेसर दुर्गावता से रावलगढ जा रही गेवल सड़क से रास्ता उपलब्ध है। उक्त सड़क के समीप स्थित खसरा नंबर 1980

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण का ही है। उक्त सड़क से घर की दूरी लघुतम, निकटतम है जो कि मात्र 300 मीटर से भी कम है। उक्त सड़क से प्रत्यर्थीगण के लिय रास्ता उपलब्ध है। बालेसर से तिवंरी रोड़ से प्रत्यर्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी तक दूरी 900 मीटर से अधिक है जो निकटतम के सिद्धांत के खिलाफ है। इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते हेतु प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है। संयुक्त शासन सचिव ग्रुप-6 दिनांक 02.09.2016 व श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप-6 विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 43(02) रा./06/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में रास्ता निराकरण अभियान 2016 के तहत तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण के खेत खसरा नं. 1855, 1996, 1995, 1994, 1991, 1993, 1992, 1983 का किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट नहीं बनवाई एवं न ही उस मौका रिपोर्ट बनवाने हेतु उक्त खसरान् के खेत में आये एवं न ही उक्त खसरान् के खातेदारों के हस्ताक्षर वगैरह करवाये। उक्त खसरान् में दिनांक 13.04.2018 को राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने हेतु जो स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष चाही गई, वह न्याय आपके द्वार अभियान में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के फर्जी हस्ताक्षर आदि करके मिथ्या कागजात तैयार करके धोखे से अपीलार्थीगण के खसरान् में से रास्ते हेतु भूमि समर्पित करवाई, जिसके खिलाफ अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2018 को आदेश खारिज कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया। उक्त खसरान् में सें न्याय आपके द्वार अभियान में काटे गये रास्ते के मौका रिपोर्ट पर मात्र 4 से 5 खातेदारान् के ही हस्ताक्षर है, जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रत्यर्थीगण ने धोखे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण की जानकारी के बगैर मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा बनाकर उक्त खसरान् में से रास्ते हेतु भूमि कटवाई। उक्त तथ्यों का पूर्ण विस्तृत विवरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस में कही पर भी अपने चाहे गये रास्ते का अंकन व निशान अंकित नहीं किया है तथा न ही स्वयं के खेत से आगे रास्ता चाहा गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने निजी हित एवं फायदे के लिए तथा अपीलार्थीगण के खेत को नुकसान पहुंचाने एवं बिना धारा 251-ए के मूलभूत सिद्धांतो निकटतम, लघुतम के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत जगदीश एवं अन्य बनाम छीतरमल व अन्य निगरानी याचिका संख्या 1037/2017 के दिनांक 15.10.2018 को पारित आदेश में स्पष्टतः अतिआवश्यक वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता के निर्धारण को आवश्यक माना है। उक्त न्यायिक दृष्टांत भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी भी अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी उंची राजनीतिक पहुंच एवं उंची आर्थिक हैसियत के बल पर अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करते एवं अपीलार्थीगण के खेत खसरान् में जहां आज से 15 वर्ष पूर्व तारबंदी आदि कर दी थी, को नुकसान पहुंचाने, खेतो के टुकड़े करने व अपने स्वयं के निजी फायदे के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध होते हुए भी आलौच्य आदेश पारित करवाया है। अंत में वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जून 2022 को अपास्त फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। रेस्पोडेंट्स एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र एव वेवा है। अपीलाधीन रास्ता वक्त सेटलमेंट से राजस्व रेकर्ड में पगडण्डी के रूप में दर्ज है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है, उसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष खम्मा कंवर बनाम नखतसिंह अनवान से विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

योग्य राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। **उपलब्ध अभिलेख** मौका फर्द दिनांक 05.04.2022 के मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खेत खसरा नं. 1994 की उतरी सीमा की ओर स्थित खसरा नं. 1989, 1987, 1986, 1984 के खातेदारान् द्वारा मौके पर अपनी भूमि में सें रास्ते हेतु भूमि समर्पित की गई, जिसके खसरा नं. 1984/1, 1986/1, 1984/2, 1989/1 है। उक्त समर्पित भूमि के उतरी दिशा में रेस्पोडेंट्स का ही खातेदारी खेत खसरा नं. 1980 स्थित है। उक्त मौका फर्द में प्रार्थीगण/रेस्पो. के वर्तमान मे आवागमन हेतु खसरा नं. 1980, 1982, 1983 एवं 1992 में से रास्ता चालू होना बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है तथा अपीलाधीन रास्ते को केवल पगडण्डी के रूप में बताया गया है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मौके पर रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु उपलब्ध निकटतम रास्ते के अन्य विकल्पो की जांच किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है, जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 07 जून 2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों बावत उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर निकटतम एवं लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित करे। साथ ही तब तक अपीलांट्स को हिदायत है कि मौके पर रास्ता चालू है तो रेस्पोडेंट्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा रास्ते के संबंध में उभय पक्ष मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर